पत्र सं0 वैट/विधि(08–09)–परिपत्र भाग–2–/39/0910008 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अप्रैल 20 ,2009

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा–2(aa) में रजिस्टरिंग अथारिटी की परिभाषा निम्न प्रकार दी गयी है :–

"रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निर्गमन, निलम्बन, निरस्तीकरण या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित या किसी अन्य मामले को व्यवहृत करने हेतु सशक्त किया गया है और इसमें कर निर्धारक प्राधिकारी सम्मिलित है। "

रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कर निर्धारक प्राधिकारी भी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं। अतः रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी एवं कर निर्धारक प्राधिकारी दोनों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निर्गमन, निलम्बन या निरस्तीकरण की कार्यवाही करने का अधिकार है। मुख्यालय के परिपत्र संख्या–वैट परिपत्र पत्रावली/ पंजीयन प्रकोष्ठ–व्यापारी सुविधा केन्द्र/07–08/427/व्यापार कर दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक पंजीयन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत पंजीयन कार्य तथा उससे सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इस परिपत्र से यह स्पष्ट है कि नये व्यापारियों द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने का कार्य पंजीयन प्रकोष्ठ में तैनात अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। मुख्यालय के परिपत्र संख्या–वैट–(07–08)परिपत्र–596/वाणिज्य कर, दि0 13–2–08 के प्रस्तर –19 में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

> **प्रस्तर–19** – व्यापार बन्द होने के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों की जांच की कार्यवाही तथा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही पंजीयन प्राधिकारी द्वारा की जायेगी एवं उसका निस्तारण एक सप्ताह में करके उसकी सूचना सम्बन्धित खण्डाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से व्यापार बन्द होने के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों की जांच की कार्यवाही तथा उनके पंजीयन प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण की कार्यवाही का अतिरिक्त कार्य पंजीयन प्रकोष्ठ में तैनात पंजीयन प्राधिकारी को करने हेतु निर्देशित किया गया था। व्यापार बन्द होने के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों से भिन्न प्रकार के व्यापारियों के सम्बन्ध में पंजीयन प्रमाणपत्र के निलम्बन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही करने का अधिकार वर्तमान में रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी दोनों को है। अतः फील्ड में एकरुपता बनाये रखने के लिए पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही का अधिकार खंड के कर निर्धारक प्राधिकारी को देते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि व्यापार बन्द होने के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले

प्रार्थनापत्रों की जांच की कार्यवाही तथा पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ–साथ किसी व्यापारी को जारी पंजीयन प्रमाणपत्र के निलम्बन अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना यदि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित पाया जाता है तो यह समस्त कार्यवाही कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा ही की जायेगी। परिपत्र संख्या–596 दिनांक 13–2–08 का प्रस्तर–19 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का निष्ठापूर्वक एवं कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।</u>
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2–श्री एच0एन0 राव संयुक्त सचिव/श्री एस0सी0 द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3–अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4–समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर , मुख्यालय।
5–समस्त एडी0 कमि0 ग्रेड–1, एडी0कमि0 ग्रेड–2/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6–अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
7–समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8–समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
9–समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।